AHSAN ALI (Executive)
Stock Holding Corporation of India Ltd
Office No 16 17 18, Rly Mall Cross Road
Bank Road Gorakhpur-273001

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP00980927606419N
Certificate Issued Date	:	27-Mar-2015 06:18 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ upshcil01/ GORAKHPUR/ UP-GRK
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHCIL0101181272445399N
Purchased by	:	ASHISH INFRAESTATE LTD
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	MAUJA GULAHARIYA TEHSIL SADAR GORAKHPUR ARAZI NO 183 AND 184 AREA 1386.27 SQ MTR
Consideration Price (Rs.)	:	1,41,95,000 (One Crore Forty One Lakh Ninety Five Thousand only)
First Party	:	JITENDRA SINGH SON OF LT MALKIYAT SINGH AND OTHERS
Second Party	:	ASHISH INFRAESTATE LTD
Stamp Duty Paid By	:	ASHISH INFRAESTATE LTD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	9,50,000 (Nine Lakh Fifty Thousand only)

Verified By
Locked By
S. R. SECOND, GKP

Please write or type below this line

XM 0001476860

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये TEN RUPEES

रु.10 Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 61AC 586811

बिल्डर्स एग्रीमेन्ट

प्रथम पक्ष– जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 मल्कियत सिंह व शैलेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 बेअन्त सिंह व श्रीमती मनमोहन कौर पत्नी स्व0 निर्मल सिंह व जसबिन्दर कौर पत्नी स्व0 नरेन्द्र सिंह निवासीगण मुहल्ला मोहद्दीपुर उत्तरी, गोरखपुर

द्वितीय पक्ष– आशीष इन्फ्रा इस्टेट लि0 501, जेमिनी रेजीडेन्सी, शाहपुर, मेडिकल रोड, गोरखपुर द्वारा निदेशक पी0 सी0 सैमकुट्टी पुत्र ए0 सी0 जार्ज निवासी 501, जेमिनी रेजीडेन्सी, शाहपुर, मेडिकल रोड, गोरखपुर

२१८३१-३ २०७५ [illegible]

[illegible] २०

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 898566

बिल्डर्स एग्रीमेन्ट

- मौजा– गुलहरिया
- प्रारुप 4,
- क्रम संख्या 70
- वी कोड 5301
- नियत दर रुपया 9200/– प्रति वर्ग मीटर +25 प्रतिशत
- सामान्य निर्देश संख्या 10 के अनुसार 25 प्रतिशत
- वास्तविक नियत दर रुपया 11500/– प्रतिवर्ग मीटर
- सामान्य निर्देश संख्या 28 (1) के अनुसार 500 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल हेतु प्रभावी दर रुपया 11500/– प्रतिवर्ग मीटर,
- सामान्य निर्देश संख्या 28 (2) के अनुसार 500 वर्ग मीटर से अधिक व 1000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल हेतु 15 प्रतिशत छूट के बाद प्रभावी दर रुपया 9775/– प्रति वर्ग मीटर

32
50202
28/3/15

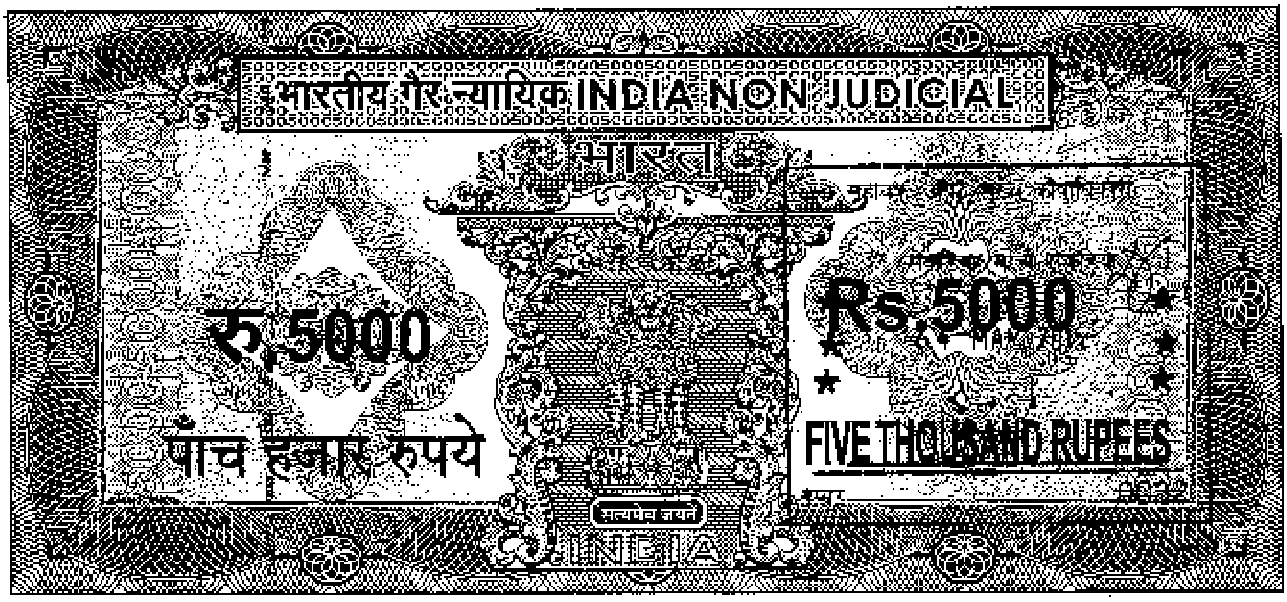

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BC 898567

- सामान्य निर्देश संख्या 28 (3) के अनुसार 1000 वर्ग मीटर से अधिक व 2000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल हेतु 20 प्रतिशत छूट के बाद प्रभावी दर रुपया 9200/– प्रति वर्ग मीटर
- कुल क्षेत्रफल– 1386.27 वर्ग मीटर
- प्रश्नगत सम्पत्ति का मूल्यांकन निम्नवत है:–

1– 500 वर्ग मीटर x रुपया 11500/– = रुपया 57,50,000/–

2– 500 वर्ग मीटर x रुपया 9775/– = रुपया 48,87,500/–

3– 386.27 वर्ग मीटर x रुपया 9200/– = रुपया 35,54,000/–

कुल मूल्यांकन रुपया 1,41,91,000/– (एक करोड़ इकतालीस लाख इक्यानबे हजार)

- स्टैम्प शुल्क –रुपया 9,93,500/–

हम कि जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 मल्कियत सिंह व शैलेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 बेअन्त सिंह व श्रीमती मनमोहन कौर पत्नी स्व0 निर्मल सिंह व जसविन्दर कौर पत्नी स्व0 नरेन्द्र सिंह निवासीगण मुहल्ला मोहद्दीपुर उत्तरी, गोरखपुर के हैं जिन्हे इस विलेख में पक्षकार प्रथम पक्ष कहा गया है।

33
50202
26/3/15

213-7-31

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BC 900024

वो

आशीष इन्फ्रा इस्टेट लि0 501, जेमिनी रेजीडेन्सी, शाहपुर, मेडिकल रोड, गोरखपुर द्वारा निदेशक पी0 सी0 सैमकुट्टी पुत्र ए0 सी0 जार्ज निवासी 501, जेमिनी रेजीडेन्सी, शाहपुर, मेडिकल रोड, गोरखपुर, के है जिन्हे इस विलेख में पक्षकार द्वितीयपक्ष कहा गया है।

ज्ञात हो कि पक्षकार प्रथम पक्ष मुहल्ला गुलरिहा, तप्पा खुटहन परगना हवेली, तहसील सदर, जिला गोरखपुर के गाटा संख्या 183 व *184* कुल रकबा 4313.77 वर्ग मीटर के मालिक काबिज दखील है। पक्षकार प्रथम पक्ष अपनी उक्त स्वामित्व व स्वत्व वाली जमीन पर बहुमंजिली भवन का निर्माण करवाना चाहते रहे और अपनी इच्छा को पूरा करने के उद्देश्य से पक्षकार प्रथम पक्ष शहर गोरखपुर के विभिन्न भवन निर्माणकर्ता कम्पनियों व व्यक्तियों से बातचीत किये व बातचीत के पश्चात प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य करार हुआ वो फलस्वरुप प्रथम पक्ष ने अपने हक व हिस्से में से आराजी नम्बर 184 रकबा 2927.5 वर्गमीटर के लिए एक बिल्डर्स एग्रीमेन्ट द्वितीय पक्ष के हक में तहरीर कर दिया जो कार्यालय उपनिबन्धक सदर द्वितीय गोरखपुर में दिनांक 31.12.2013 को बही संख्या 1 खण्ड 8827 के पृष्ठ संख्या 117 से 224 पर क्रम संख्या 3936 पर रजिस्ट्रीकृत है। बिल्डर्स एग्रीमेन्ट निष्पादित व निबन्धित होने के पश्चात जब

१० / १३ / ३०/३/१५

आशीष कुमार हाजिर [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

मा.सं.-117
हस्ताक्षर
दि०

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 900025

द्वितीय पक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर के समक्ष मानचित्र स्वीकृत कराने गये तो पता चला कि पक्षकारगण प्रश्नगत सम्पत्ति के पूरब मौजूद सड़क की चौड़ाई जो समझ रहे थे वो वास्तव में गलत है तथा उक्त आराजी जिस सड़क के किनारे मौजूद है उस सड़क की चौड़ाई बिल्डर्स एग्रीमेन्ट में प्रदर्शित सड़क की चौड़ाई से कम है और इस प्रकार से सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण मौके पर प्रथम पक्ष के हक व हिस्से की जमीन जिस पर निर्माण होना था, का कुछ रकबा शेष रह गया जिसके लिये दोनो पक्ष आपस में बिल्डर्स एग्रीमेन्ट किये ही नही थे। पक्षकार प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष ने मौके की नाप जोख के पश्चात इस नतीजे पर पहुँचे कि जो मौके पर अतिरिक्त क्षेत्रफल है उसके लिये अलग से एक बिल्डर्स एग्रीमेन्ट तहरीर कर लिया जावे जिससे भविष्य में किसी पक्ष को कोई परेशानी न उत्पन्न हो। तथा दोनो पक्षों की सहमति से गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर के समक्ष सम्पुर्ण क्षेत्रफल 4313.77 वर्ग मीटर पर भवन निर्माण के लिये मानचित्र स्वीकृत करा लिया गया, जिसका मानचित्र संख्या 222/2013 है। चूकिं दोनो पक्ष आपस में अवशेष क्षेत्रफल के लिये बिल्डर्स एग्रीमेन्ट तहरीर करने की बात पहले से ही तय किये हुए है किन्तु आज तक बिल्डर्स एग्रीमेन्ट तहरीर नही हो पाया है, अतः आज दोनो पक्ष आपसी सहमति से गुलरिहा, तप्पा खुटहन परगना हवेली, तहसील सदर, जिला गोरखपुर के गाटा

14
30/9/15

13

आ.क्र.-117

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BC 900026

संख्या 183 व *184* के कुल रकबा 1366.27 वर्ग मीटर जिसे इस विलेख में प्रश्नगत सम्पत्ति कहा गया है, जिसका चौहद्दी सहित पूरा विवरण इस विलेख के अन्त में दिया गया है और जिससे "सम्पत्ति हस्ब चौहद्दी जैल" का भी अभिप्राय है, के लिये आपस में विचार विमर्श करके आपसी सहमति से यह बिल्डर्स एग्रीमेन्ट तहरीर कर रहें है वो इस सम्बन्ध में प्रथम व द्वितीय पक्ष निम्नलिखित शर्ते तय वो स्वीकार कर रहें हैं और इनके पूर्ण पालन करते रहने के लिए एक दूसरे से वचनबद्ध है :

1. यह कि प्रथम पक्ष की सम्परित हस्ब चौहद्दी जैल के तहती जमीन पर बहुमंजिली भवन बनवाने के लिए यह अनुबन्ध विलेख (बिल्डर्स एग्रीमेन्ट) तहरीर किया जा रहा है।
2. यहकि सम्पत्ति हस्ब चौहद्दी जैल पर बहुमंजिली भवन का निर्माण करवाने के लिये गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर से मानचित्र द्वितीय पक्ष द्वारा जितेन्द्र सिंह के नाम से स्वीकृत करवा लिया गया है।
3. यहकि सम्पत्ति हस्ब चौहद्दी जैल पर बहुमंजिली भवन का निर्माण करवाने के लिये अग्निशमन की अनापत्ति, एअरफोर्स की अनापत्ति व अन्य विभागो

500
117
30/3/15

13

का.क्र.-117

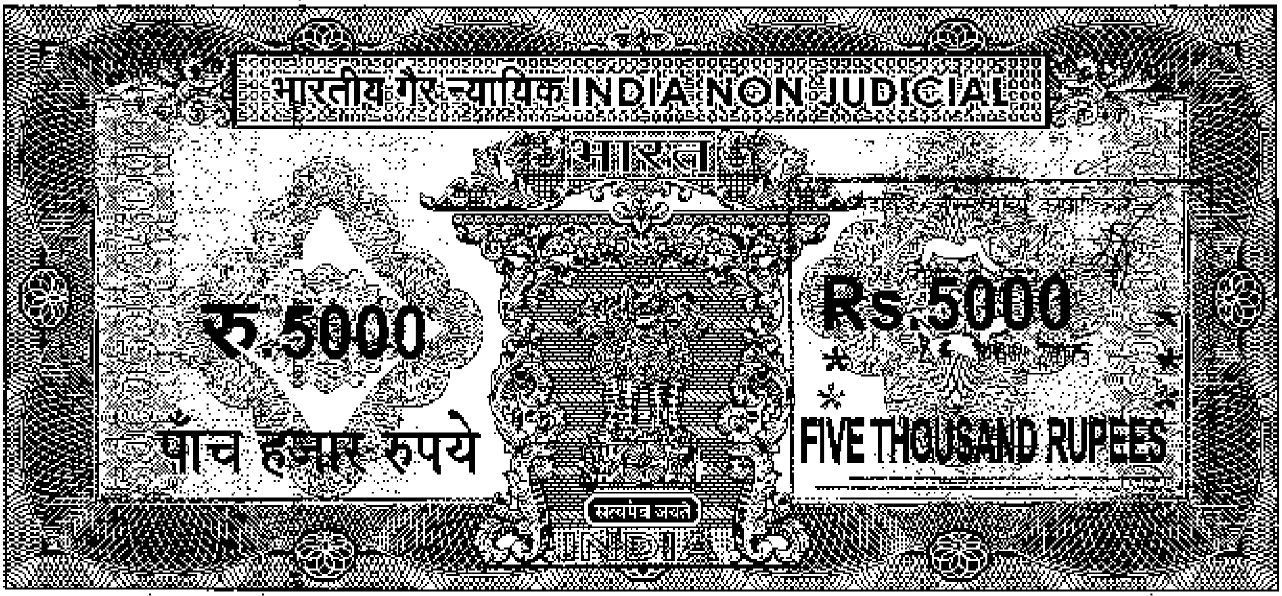

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BC 899981

की अनुमति या अनापत्ति जो निर्माण के लिये आवश्यक हो उसे द्वितीय पक्ष द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

4. यह कि सभी सम्बन्धित विभागो से अनुमति या अनापत्ति प्राप्त हो जाने के पश्चात 36 माह के अन्दर निर्माण कार्य पूरा कर लिया जायेगा और इस समयावधि मे दोनो पक्षो की सहमति से अतिरिक्त ग्रेस पीरियड निर्धारित किया जा सकता है।

5. यहकि भवन निर्माण के पश्चात सम्पूर्ण भूमि, भवन, पार्किंग आदि में प्रथम पक्ष का हिस्सा 40 (चालीस) प्रतिशत होगा व द्वितीय पक्ष का हिस्सा 60 (साठ) प्रतिशत होगा, यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार का प्रतिशत आवासीय व व्यावासायिक दोनो में होगा। प्रत्येक पक्ष को अपने अपने हिस्से को हस्तान्तारित करने का अधिकार होगा।

6. यहकि निर्मित भवन में अपने अपने हिस्सो की रजिस्ट्री बैनामा (हस्तान्तरित) करने का अधिकार प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष को होगा।

7. यह कि प्रस्तावित भवन जिसमें भूतल से लेकर अन्तिम तल तक *व्यावयासिक* व *आवासीय* निर्माण होना है। इस सम्बन्ध में यदि अन्य किसी विभाग या अधिकारी के इज़ाजत की आवश्यकता होगी जो उसे अपने नाम से अनुमति

Jaswinder Kaur

૬૯ તા ૭-૩-૨૦૧૫ [illegible] ૨૦૦૦)

[illegible] ૨૨ [illegible]

[illegible] ૨૦૧ [illegible]

[illegible]

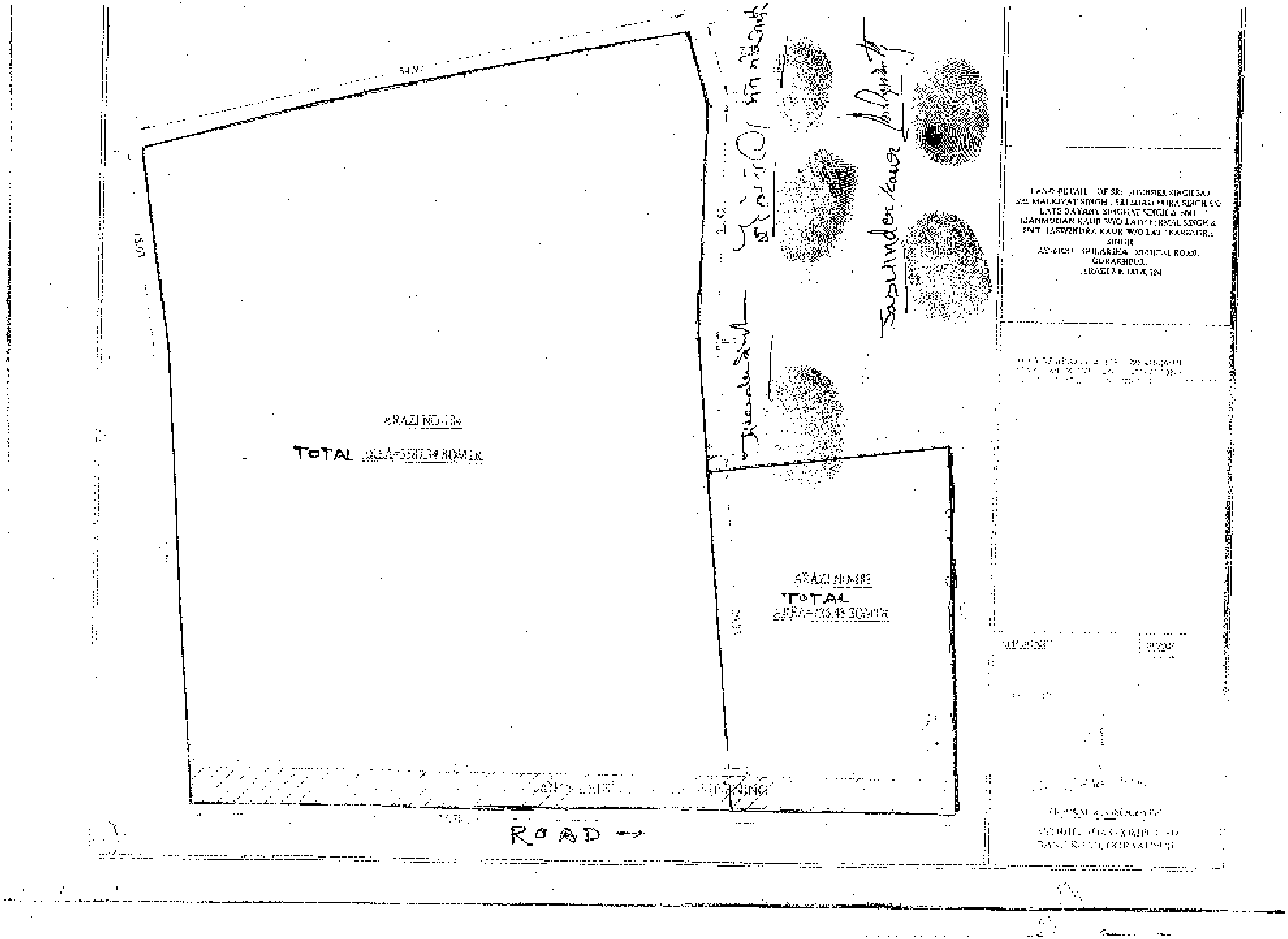
TOTAL
TOTAL
ROAD

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH V 640441

[redacted]

Jasvinder Kaur

२० नं ३१-३-२०७१ देखि ५००।

[illegible]

आ.नं. 19

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BC 899982

इत्यादि द्वितीय पक्ष प्राप्त करेगें। इन सभी कार्यो में आर्थिक सहयोग को छोड़कर अन्य सभी वांछित सहयोग प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी विलम्ब के प्रदान करेंगे।

8. यह कि निर्माण कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की घटना, दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी प्रथम पक्ष इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी या जिम्मेदार नही होगें।

9. यह कि प्रस्तावित भवन का पूर्ण निर्माण कार्य जिसमें कामन एरिया की फ्लोरींग, बिजली, वायरिंग, कलरिंग इत्यादि सम्मलित है, द्वितीय पक्ष द्वारा कराया जावेगा।

10. यह कि भवन की सीढ़ी, पैसेज छज्जा, लिफ्ट चारो ओर के सेटबैक इत्यादि कामन रहेगा और किसी को भी इन पर इनके किसी भी हिस्सा पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण करने या अवरोध पैदा करने का कोई अधिकार नही प्राप्त रहेगा।

11. यहकि कामन एरिया के रख रखाव सफाई व्यवस्था इत्यादि के सम्बन्ध में जो भी व्यवस्था प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष द्वारा अथवा प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त किसी एर्जेन्सी द्वारा किया जावेगा और जो शुल्क इत्यादि समय

[illegible]

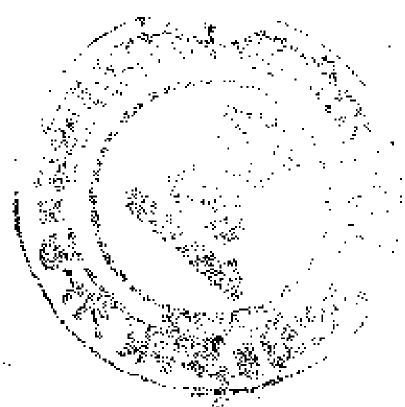

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AM 547333

पर निर्धारित किया जावेगा तो उसके अदायगी की जिम्मेदारी सभी अध्यासियो की उनके अध्यासन के क्षेत्रफल के अनुसार होगा। उक्त शुल्क को पाने के अधिकारी द्वितीय पक्ष होंगे वो बाद में अध्यासियो के सोसाइटी को यह अधिकार प्राप्त होगा।

12. यहकि निर्धारित समयावधि में यदि किसी ऐसी घटना, जिसे टाला न जा सके, जैसे–बाढ़, भूकम्प, शासकीय नोटिस, सामान की अनुपलब्धता आदि के कारण या विधिक अड़चन के कारण यदि भवन निर्माण में कठिनाई आती है, तो उस स्थिति में दोनों पक्ष आपस में मिल–बैठकर आपसी सहमति से भवन निर्माण के लिए निर्धारित समय सीमा को बढ़ा लेगें।

13. यह कि द्वितीय पक्ष नियमानुसार गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर से purchasable FAR ले सकते है, जिसके स्वीकृत होने की दशा में दोनो पक्ष उक्त तयशुदा प्रतिशत के अनुसार purchasable FAR को भी आपस में विभाजित कर लेंगे तथा इस मद में जो प्राधिकरण सम्बन्धी व निर्माण सम्बन्धी खर्च आयेगा उसे दोनो पक्ष अपने अपने तयशुदा प्रतिशत के अनुसार अदा करेंगे।

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री अरविन्द सिंह
पुत्र श्री चन्द्रिका सिंह
पेशा व्यापार
निवासी बशारतपुर गो0
व श्री भोलानाथ
पुत्र श्री कैलाश प्रसाद
पेशा व्यापार
निवासी करमहा खुर्द सदर गो0
ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

विक्रेता डी0 एल0 जे/1100/2/जी0 के0 पी0 वोटर आइ डी DSR1835941, राशन कार्ड 668676, पैनकार्ड AINFS0649K व क्रेता पैन कार्ड के0 पी0 श्री0

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुप्रशांत दूबे
उप निबंधक द्वितीय
गोरखपुर
31/3/2015

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AM 547334

14. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को उसके हिस्से के फ्लैंटो पर कब्जा देते समय आनुपातिक रुप में पार्किंग निःशुल्क उपलब्ध करवाया जायेगा किन्तु पावर कारपोरेशन व अग्निशमन व सोसाइटी आदि का जो भी खर्च होगा उसे प्रथम पक्ष द्वारा अपने हिस्से के फ्लैंटो पर कब्जा प्राप्त करते समय द्वितीय पक्ष को अदा किया जायेगा और यदि प्रथम पक्ष द्वारा अपने हिस्से के फ्लैंटो का विक्रय किया जा रहा है तो उस दशा में प्रथम पक्ष अपने अध्यासियो/क्रेतागण से द्वितीय पक्ष को उक्त पावर कारपोरेशन व अग्निशमन व सोसाइटी आदि का जो भी खर्च होगा उसे अवश्य अदा करवायेंगे।

15. यह कि उक्त बहुमंजिली भवन के फ्लैंट्स व दुकान पर पावर कारपोरेशन, अग्निशमन, सोसाइटी आदि का जो भी खर्च होगा वो जो सर्विस टैक्स, वैट, गृहकर, जलकर आदि होगा उसे द्वितीय पक्ष द्वारा अपने ग्राहको से वसूल किया जायेगा और इस प्रकार से उक्त मद का जो भी खर्चा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने ग्राहको से वसूल किया जा रहा होगा उसे (उक्त मद का सम्पूर्ण खर्चा) उसी प्रकार प्रथम पक्ष द्वारा भी अपने हिस्से के फ्लैंटो व दुकानो पर उसी वक्त वसूल करके द्वितीय पक्ष को उक्त खर्चा अदा करना होगा।

Jaswinder Kaur

6579

विक्रय अनुबंध विलेख

प्रतिफल	मालियत	अग्रिम धनराशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
14,195,000.00			10,000.00	50	10,050.00	2,200

श्री आशिष इन्फ्रा इस्टेट लि0 द्वारा नि0 पी0सी0 सैमकुट्टी
पुत्र श्री ए0 सी0 जार्ज
व्यवसाय व्यापार
निवासी स्थायी 501 जेमिनी रेजीडेन्सी शाहपुर गो0
अस्थायी पता उक्त
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 31/3/2015 समय 12:49PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रशांत दूबे
उप निबंधक द्वितीय
गोरखपुर
31/3/2015

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री जितेन्द्र सिंह
पुत्र श्री स्व0 मल्कियत सिंह
पेशा व्यापार
निवासी मोहद्दीपुर शहर गो0

श्री शैलेन्द्र सिंह
पुत्र श्री स्व0 बेअन्त सिंह
पेशा व्यापार
निवासी मोहद्दीपुर गो0

श्रीमती मनमोहन कौर
पत्नी श्री स्व0 निर्मल सिंह
पेशा गृहिणी
निवासी मोहद्दीपुर शहर गो0

श्रीमती जसविन्दर कौर
पत्नी श्री स्व0 नरेन्द्र सिंह
पेशा गृहिणी
निवासी मोहद्दीपुर शहर गो0

क्रेता

श्री आशिष इन्फ्रा इस्टेट लि0 द्वारा नि0 पी0सी0 सैमकुट्टी
पुत्र श्री ए0 सी0 जार्ज
पेशा व्यापार
निवासी 501 जेमिनी रेजीडेन्सी शाहपुर गो0

Jitendra Singh   Jaswinder Kaur

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AM 547335

इस प्रकार से पक्षकारो ने यह विलेख खूब सोच समझकर पढ़कर, समझकर, अपनी स्वेच्छा वो स्वस्थ्य बुद्धि से निष्पादित कर दिया है जो समय पर काम आ सके।

वाजा हो कि प्रश्नगत सम्पत्ति नगर निगम के बाहर है व मौजा गुलहरिया में मिश्रित भू प्रयोग की जमीन है व सडक का चौड़ाई 18 मीटर से अधिक है अतः प्रारुप 4, क्रम संख्या 70 वी कोड 5301 के अनुसार नियत दर रुपया 9200/- प्रति वर्ग मीटर में सामान्य निर्देश संख्या 10 के अनुसार 25 प्रतिशत अतिरिक्त जोडने पर नियत दर रुपया 11500/- है जो सामान्य निर्देश संख्या 28 (1) के अनुसार 500 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल हेतु प्रभावी है व सामान्य निर्देश संख्या 28 (2) के अनुसार 500 वर्ग मीटर से अधिक व 1000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल हेतु 15 प्रतिशत छूट के बाद प्रभावी दर रुपया 9775/- प्रति वर्ग मीटर हे व सामान्य निर्देश संख्या 28 (3) के अनुसार 1000 वर्ग मीटर से अधिक व 2000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल हेतु 20 प्रतिशत छूट के बाद प्रभावी दर रुपया 9200/- प्रति वर्ग मीटर है व इस प्रकार से प्रश्नगत सम्पत्ति का मूल्यांकन निम्नवत है:--

1- 500 वर्ग मीटर X रुपया 11500/- = रुपया 57,50,000/-

विक्रेता

Registration No.: [illegible]3706 Year : 2,015 Book No. : 1

0101 जितेन्द्र सिंह
स्व0 मलिंगात सिंह
मोहद्दीपुर शहर गो0
व्यापार

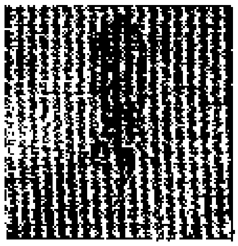

0102 शैलेन्द्र सिंह
स्व0 बैजनाथ सिंह
मोहद्दीपुर गो0
व्यापार

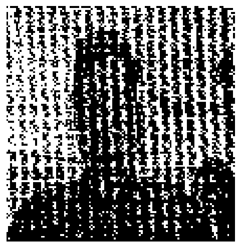

0103 मनमोहन कौर
स्व0 निर्मल सिंह
मोहद्दीपुर शहर गो0
गृहिणी

0104 जसविन्दर कौर
स्व0 नरेन्द्र सिंह
मोहद्दीपुर शहर गो0
गृहिणी

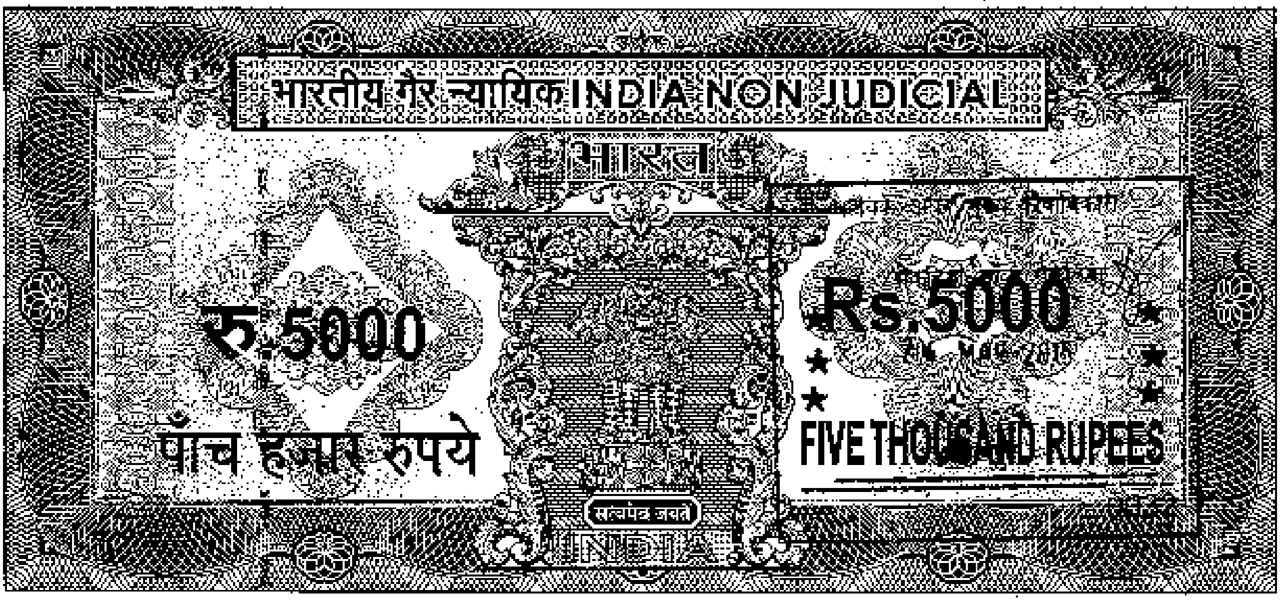

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BC 898565

2– 500 वर्ग मीटर x रुपया 9775/– = रुपया 48,87,500/–

3– 386.27 वर्ग मीटर x रुपया 9200/– = रुपया 35,54,000/–

कुल मूल्यांकन रुपया 1,41,91,000/– (एक करोड़ इकतालीस लाख इक्यानबे हजार) हुआ जिस पर रुपया 9,93,500/– के मूल्य का स्टैम्प शुल्क संदत्त है।

विवरण भूमि– स्थिति मुहल्ला– गुलहरिया, तप्पा खुटहन, परगना –हवेली, तहसील– सदर, शहर व जिला– गोरखपुर के अन्दर अराजी संख्या– 183 (एक सौ तिरासी) व *184* (एक सौ चौरासी) में अपने कुल हक व हिस्से के क्षेत्रफल– 14916.2652 वर्ग फीट (चौदह हजार नौ सौ सोलह दशमलव दो छः पाँच दो वर्ग फीट) यानी 1386.27 वर्ग मीटर (एक हजार तीन सौ छियासी दशमलव दो सात वर्ग मीटर) पर *आवासीय* व *व्यावसायिक* भवन निर्माण के लिए यह विलेख तहरीर किया गया।

पूरब – गोरखपुर से महराजगंज मार्ग जो 120 फीट चौड़ा है।

पश्चिम – गाटा संख्या 187 स्वामी अन्य व्यक्ति।

उत्तर– गाटा संख्या 183 स्वामी–प्रथम पक्ष व गाटा संख्या 185 स्वामी अन्य।

31
50002
26/3/15

आशीष इन्फ्रा इस्टेट लि० 501, जेमिनी रेजीडेन्सी, शहारा मेडिकल 215, गोरखपुर
निदेशक पी०सी० सैमकुट्टी पुत्र ए.सी. जार्ज निवासी 501, जेमिनी रेजीडेन्सी
शहारा मेडिकल रोड गोरखपुर

क्रेता

Registration No.: 3206 Year: 2,015 Book No.: 1

0201 आशिष इन्फ्रा इस्टेट लि0 द्वारा नि0 पी0सी0 सैमकुट्टी
ए0 सी0 जार्ज
501 जेमिनी रेजीडेंसी राप्तपुर गो0
व्यापार

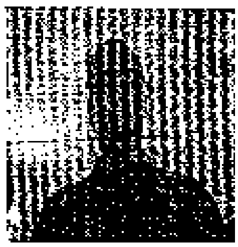

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH V 640440

दक्षिण-- मकान लीलावती देवी व सीमा देवी।

साक्षी

1. अरविन्द सिंह पुत्र श्री नागेन्द्र सिंह
बेतियाहाता गोरखपुर

2. भोलानाथ गौड़ S/o श्री ...
ग्रा - ...
पो० - गुलहरिया बाजार
गो०

प्रारुपक व तैयारीकर्ता

अच्युतानन्द शुक्ल
एडवोकेट
दिनांक 30.03.2015

आज दिनांक 31/03/2015 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 11022

पृष्ठ सं. 1 से 32 पर क्रमांक 3206

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुप्रशांत दूबे

उप निबंधक द्वितीय

गोरखपुर

31/03/2015